भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2081

जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

रिक्त पदों को भरना

2081. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और संबद्ध कार्यालयों में बैकलॉग रिक्तियां सहित रिक्त पदों की संख्या कितनी है ;

(ख) कर्नाटक के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में बैकलॉग रिक्तियां सहित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने बैकलॉग रिक्तियों सहित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	25.07.2025 तक रिक्तियां
1.	उच्चतम न्यायालय	01
2.	उच्च न्यायालय	362
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय*	4,721(*28.07.2025 तक*)

* *न्याय विभाग के एमआईएस पोर्टल के अनुसार*

इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों (उच्च न्यायालय-वार) और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार) में विद्यमान रिक्तियों का ब्यौरा क्रमशः ***उपाबंध-1*** और ***उपाबंध-2*** में दिया गया है।

सरकार समय-समय पर भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरती रही है। 01.05.2014 से 21.07.2025 तक, उच्चतम न्यायालय में 70 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1058 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए और 794 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या मई 2014 में 906 से बढ़कर आज तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

तारीख से	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.07.2025	25,843	21,122

स्रोत :न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों की ज़िम्मेदारी है। संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती से संबंधित नियम और विनियम बनाती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मज़हर सुल्तान मामले में पारित आदेश के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ समय-सीमाएँ निर्धारित की हैं, जिनका पालन राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए किया जाना है।

*****

उपाबंध-1

'रिक्त पदों को भरने' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2081 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्ति (25.07.2025 तक)

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्ति
1	इलाहाबाद	160	80	80
2	आंध्र प्रदेश	37	28	9
3	बंबई	94	67	27
4	कलकत्ता	72	48	24
5	छत्तीसगढ़	22	16	6
6	दिल्ली	60	43	17
7	गुवाहाटी	30	21	9
8	गुजरात	52	39	13
9	हिमाचल प्रदेश	17	11	6
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	25	15	10
11	झारखंड	25	15	10
12	कर्नाटक	62	47	15
13	केरल	47	43	4
14	मध्य प्रदेश	53	33	20
15	मद्रास	75	57	18
16	मणिपुर	5	3	2
17	मेघालय	4	4	0
18	उड़ीसा	33	20	13
19	पटना	53	36	17
20	पंजाब और हरियाणा	85	49	36
21	राजस्थान	50	43	7
22	सिक्किम	3	3	0
23	तेलंगाना	42	26	16
24	त्रिपुरा	5	4	1
25	उत्तराखंड	11	9	2
	कुल	**1122**	**760**	**362**

उपाबंध-2

'रिक्त पदों को भरने' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2081 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी के पद (28.07.2025 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	639	574	65
2.	अरुणाचल प्रदेश	44	39	5
3.	असम	485	461	24
4.	बिहार	2022	1679	343
5.	चंडीगढ़	30	30	0
6.	छत्तीसगढ़	663	465	198
7.	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	7	6	1
8.	दिल्ली	897	788	109
9.	गोवा	50	40	10
10.	गुजरात	1720	1185	535
11.	हरियाणा	781	661	120
12.	हिमाचल प्रदेश	179	160	19
13.	जम्मू-कश्मीर	322	272	50
14.	झारखंड	707	501	206
15.	कर्नाटक	1394	1167	227
16.	केरल	614	579	35
17.	लद्दाख	17	10	7
18.	लक्षद्वीप	4	4	0
19.	मध्य प्रदेश	2028	1669	359
20.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
21.	मणिपुर	62	49	13
22.	मेघालय	99	57	42
23.	मिजोरम	74	45	29
24.	नागालैंड	34	24	10
25.	ओडिशा	1043	835	208
26.	पुडुचेरी	38	26	12
27.	पंजाब	811	716	95
28.	राजस्थान	1683	1506	177
29.	सिक्किम	35	23	12
30.	तमिलनाडु	1375	1240	135
31.	तेलंगाना	560	445	115
32.	त्रिपुरा	133	106	27
33.	उत्तर प्रदेश	3700	2675	1025
34.	उत्तराखंड	298	270	28
35.	पश्चिमी बंगाल	1105	875	230
36.	अंदमान और निकोबार			
कुल		**25,843**	**21,122**	**4,721**

स्रोत: न्याय विभाग (डीओजे) का एमआईएस पोर्टल

****